(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 112 / 2020

प्रकरण संख्या :– 168 / 2020

बउनवान

1– बृजमोहन पुत्र गोरधन जाति धाकड़ निवासी कड़ैयाबन तहसील छबड़ा जिला बाराँ

2– नवीन कुमार नागर पुत्र जगदीश धाकड़ निवासी कड़ैयाबन तहसील छबड़ा

(अपीलांटगण)

बनाम

1– गुड्डीबाई पत्नि शंकरलाल जाति कबाड़ी निवासी कोटड़ी तहसील छबड़ा जिला बाराँ

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :– राजस्व / सुखाचार–रास्ता / 2020 / 3 / 1924–28 दिनांक 12.06.20 मे पारित निर्णय के अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0 एक्ट 1955

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (अपी0 क्रम 1)
2– श्री लक्ष्य भारद्वाज अभिभाषक (अपी0 क्रम 2)
3– श्री संजय नागर अभिभाषक (रेस्पो0 क्रम 1)
4– पेरोकार सरकार (रेस्पो0 क्रम 2)

निर्णय दिनांक 02.11.2020

अपीलांटगण द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व / सुखाचार–रास्ता / 2020 / 3 / 1924–1928 दिनांक 12.06.2020 में पारित निर्णय से अप्रसन्न होकर, अपील अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0 एक्ट के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 22.06.2020 एवं 21.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रकरण में अपीलांट क्रम 1 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण संख्या 3 / 2020 पर दिनांक 22.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना–पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित रखी गई। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:38:07 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। जो इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर, प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि नवीन कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 5.3.2020 को पेश किया, जिसका निर्णय दिनांक 12.6.2020 को पारित किया गया। ग्राम कड़ैयाबन की भूमि खसरा नंबर 45, 46 में जाने के लिए खसरा नं0 44 में होकर दो गट्टा चौड़ा रास्ता कायम कर दिया गया है। उक्त निर्णय निम्नानुसार निरस्तनीय है :–

1. यहाँ सर्वप्रथम निवेदन है कि नवीन कुमार द्वारा जो प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है, उसमें रास्ता खुलासा करने की मांग की गयी है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खेत खसरा नं0 44 में होकर दो गट्टा चौड़ाई में रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया है, जो 251 आर0टी0 एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर दूसरे/अन्य व्यक्ति की भूमि में होकर रास्ते देने का अधिकार धारा 251(क) आर0टी0एक्ट के तहत दिया जा सकता है न कि धारा 251 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत तथा इस प्रकार से रास्ता चाहने के लिये सक्षम न्यायालय उप जिला कलक्टर का न्यायालय है, जहाँ रेगुलर वाद दायर किये जाने के पश्चात् उसकी विधि अनुसार सुनवाई करने के पश्चात् आवश्यकता प्रतीत हो तो अन्य पक्षकार को उसकी भूमि का प्रतिकर/हर्जाना देकर हीं रास्ता कायम किया जा सकता है। इसके लिये तहसीलदार के न्यायालय को अधिकार नहीं है, इसलिये अधी0 न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय दिया है, जो निरस्त होने योग्य है।
2. प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित नहीं है कि उसका रास्ता कहाँ होकर तथा कब से था एवं किस तरह बन्द कर दिया। प्रार्थी को रास्ते का सुखाधिकार का अधिकार होना भी नहीं कहा गया है एवं रास्ते का अंकन भी नहीं किया गया है, मौके पर भी कोई रास्ता नहीं है और न हीं राजस्व रेकार्ड में रास्ता है। इसके बावजूद भी प्रार्थी को उसके खेत पर जाने के लिये अपीलांट के खेत में से रास्ता देकर भारी भूल की है, जो विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को उपलब्ध अन्य रास्ते पर गौर नहीं किया एवं क्षेत्राधिकार से बाहर अपीलांट की कृषि भूमि खाते में होकर रास्ता निर्मित कर भारी भूल की है। अतः अपील प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:38:07 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं की आराजी खसरा नं0 45 व 46 में आने–जाने के रास्ते जो खसरा नं0 44 व 48 की मेड़ पर से

पुश्तैनी समय से चला आ रहा था, को अप्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा मेड़बंदी करने से आने–जाने के रास्ते को बंद किये जाने के खुलासे के लिये प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.11.2019 एवं 27.11.2019 को प्रस्तुत किये जाने पर अधी0 न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को नियमानुसार सम्बन्धित पंचायत में निस्तारण हेतु प्रेषित किया गया था, परन्तु 45 दिन से भी अधिक गुजर जाने के बावजूद सम्बन्धित पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर दिनांक 05.03.2020 को प्रार्थी द्वारा पुनः पुश्तैनी रास्ता खुलवाये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अधी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही अमल में लाई गई, जिसके तहत मौका कमिश्नर रिपोर्ट सम्बन्धित पटवारी से प्राप्त की गई। आराजी में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अगर पुश्तैनी रास्ता कायम नहीं किया गया एवं अप्रार्थी/रेस्पो0 को अवैध रूप से मेड़बंदी करने से नहीं रोका गया, तो प्रार्थी की जमीन हमेशा के लिये पड़त रह जायेगी एवं वर्तमान में खड़ी फसल को काटने से वंचित रह जायेगा एवं मौके पर लड़ाई–झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इस कारण अनुरोध है कि अपीलांट की आराजी में आने–जाने हेतु स्थित पुराना पुश्तैनी रास्ता पुनः बहाल किया जाकर, उक्त रास्ते पर किये गये निर्माण को हटाने के आदेश प्रदान किये जावें एवं भविष्य में अपीलांट के रास्ते में कोई अड़चन पैदा न किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपीलांटगण एक हीं परिवार व एक हीं गोत्र के व्यक्ति है। इनके पूर्वज शामलाती खातेदार थे। इस कारण रास्ता खसरा नं0 44 में ही था, जिसमें होकर ही अपीलांटगण निकलते है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है अपीलांट की अपील निरस्त करने के आदेश प्रदान करें।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व/सुखाचार–रास्ता/2020/3/1924–28 में अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0 एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 12.06.2020 श्रवणाधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्त किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारान रास्ते सम्बन्धी विवाद हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दि[illegible].11.2020 [illegible]ारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.01.14 17:38:07 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बाराँ